रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1851] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8 2013/श्रावण 17, 1935
No. 1851] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2013/SRAVANA 17, 1935

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2013

का.आ. 2425(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2247 (अ), तारीख 28.09.2011 द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–95 के 92.000 किमी से 170.000 कि.मी तक (लुधियाना–तलवंडी सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है:

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स एसैल लुधियाना तलवंडी टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो 12.11.2010 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय 513/ए, पांचवॉ तल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, एल.बी.एस. मार्ग, कुरला (वेस्ट) मुम्बई–400070 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 पर 92.000 किमी से 170.000 कि.मी तक लुधियाना–तलवंडी सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) का एनएचडीपी चरण –III के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन, हस्तांतरण (डीबीएफओटी) टोल आधार पर चार लेन के सड़कमार्ग में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008, के नियम 3, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातयात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 95 के 92.000 किमी से 170.000 कि.मी (लुधियाना–तलवंडी सेक्शन) तक के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 78.000 किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा, और उक्त रियायतग्राही को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, जो भी बाद में हो, उक्त नियमों के अध्यधीन और उक्त करार के प्रावधानों के अनुसार शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है:

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
104.850 किमी (लुधियाना जिले में गुरहे गांव के पास)	39.000
164.000 किमी (मोगा जिले में दारापुर गांव के पास)	39.000

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013–14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

4. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

5. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

7. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछले संशोधन की तारीख से 6 (छह) मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और उसे, तदनुसार, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराप्रा/13013/670/सीओ/13-14/जीसी/लुधियाना-तलवंडी (बीओटी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2013

S.O. 2425(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2247(E), dated 28-09-2011, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 92.000 to kilometer 170.000 (Ludhiana-Talwandi Section) of National Highway No. 95 in the State of Punjab to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority"):

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Essel Ludhiana Talwandi Toll Roads Private Limited having its registered office at 513/A, 5th Floor, Kohinoor City, Kirol Road, L.B.S.Marg, Kurla(West), Mumbai – 400070 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 12.11.2010 for the development of Ludhiana-Talwandi Section from Km 92.000 to Km 170.000 on National Highway No. 95 (hereinafter referred to as the "said section") to four laning, operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-III on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the section from Km.92.000 to Km. 170.000 (Ludhiana – Talwandi Section) of National Highway No. 95, in the State of Punjab at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 78.000 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of Commercial Operation of the said Section of National Highways, or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the aforesaid agreement;

TABLE-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km. 104.850 (near Gurhe village in Ludhiana district)	39.000
Km. 164.000 (near Darapur village in Moga district)	39.000

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

4. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

5. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

6. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

7. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided however that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of fee and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[No. NHAI/13013/670/CO/13-14/G C/Ludhiana-Talwandi (BOT)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.